



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 484030

(प्रारम्भ-अ)

हम श्रीरंजित नाम बाजपेयी एवं सुरेंद्र नाम बाजपेयी क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री दुर्गे शिक्षण संस्थान ग्राम व पोस्ट दुर्गागंज बिलग्राम हरदोई (उ०प्र०) संपन्नपुस्तक निम्नवत् बयान करता हैं कि-

1. यह कि हमारी सोसायटी द्वारा आर० बी० डी० एन० कालेज ऑफ फार्मसी, ग्राम बोजनगर अम्बर नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
 2. यह कि हमारी सोसायटी द्वारा आर० बी० डी० एन० कालेज ऑफ फार्मसी में गाटा सं० 295/4 कुल रकबा 2030 वर्ग मीटर (कुल रकबा 0.5 एकड़) भूमि है।
 3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी ऋण किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
 4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 295/4 कुल रकबा 2030 वर्ग मीटर (कुल रकबा 0.5 एकड़) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 08 जुलाई 2020 द्वारा पारित किया गया है।
 5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
- यह कि निरीक्षण समिति, के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं भवन पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।



[Signature]

[Signature]

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उओप्रओ लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय महाविद्यालय /आईओटीआईओ आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायिटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी/कूटस्थित अथवा झुठिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगी।


 80 सचिव
 82/3/23


 80 अध्यक्ष

